

फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री बंशी लाल गुर्जर निवासी 189, रामपुरिया कुंदवा, अम्बा खेड़ा, कुंदवा, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़

— प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा—अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 48/2023

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
दिनांक 18.09.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से जरिये क्रमांक सूकाअ/ 244928467548723/2023/84 दिनांक 28.07.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 244928467548723 कार्यालय को प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र में इप्सित सूचना के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च)(ज) में वांछित सूचना ही उपलब्ध कराने के प्रावधान है एवं सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2(एच) के तहत विशिष्टिया नहीं दर्शायी गयी है। इप्सित सूचना अस्पष्ट होने से वांछित सूचना के संबंध में स्पष्ट ब्योरा, विशिष्टियां पत्रादि हो तो उल्लेख करते हुए कार्यालय के आदेश क्रमांक, दिनांक संबंधी कोई प्रति या अन्य दस्तावेज कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर वांछित सूचना से संबंधित दस्तावेज व सूचना इंगित करने का श्रम करें ताकि आर.टी.आई. एक्ट व रूल्स के तहत सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार इप्सित सूचना अस्पष्ट होने तथा वांछित सूचना के संबंध में स्पष्ट ब्योरा, विशिष्टियां पत्रादि का उल्लेख नहीं हैं। इस संबंध में अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना</p>	



कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित रिकार्ड का अवलोकन कर नियमानुसार प्राप्त करें। अतः उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद